Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में पटवारी 50 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *17 जुलाई, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर चतुर्थ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये अविकार शर्मा पटवारी पटवार हल्का रोजदा, उप तहसील मुण्डोता, आमेर, जिला जयपुर को परिवादी से **50 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर चतुर्थ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि आवासीय कॉलोनी में दो प्लाटों की भूमि से रास्ता नहीं निकालने एवं इस प्रक्रिया पर स्टे लेने हेतु समय देने की एवज में अविकार शर्मा पटवारी पटवार हल्का रोजदा, उप तहसील मुण्डोता, आमेर, जिला जयपुर द्वारा **1 लाख रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि** के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर नगर चतुर्थ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बलराम सिंह मीणा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्रीमती रजनी मीणा** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये अविकार शर्मा पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा निवासी मकान नं0 59, प्रकाश नगर, नौ दुकान के सामने, करधनी, झोटवाड़ा, जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का रोजदा, उप तहसील मुण्डोता, आमेर, जिला जयपुर को परिवादी से **50 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।